पांच फीसदी रकम जमा करने पर आवंटित होगी खाली औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूपीसीडा के संचालन मंडल की 48वीं बैठक

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपीसीडा में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अति तीव्र, तीव्र एवं मंद गति के औद्योगिक क्षेत्र में नीति में बदलाव करते हुए 75 प्रतिशत से कम आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों को मंद गति में वर्गीकृत किया गया है। इसमें भूमि का आवंटन शासन के निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ईएमडी के मद में पांच प्रतिशत राशि प्राप्त कर आवंटन किया जाएगा।

आवंटन के बाद 20 प्रतिशत राशि 60 दिन में प्राप्त करते हुए इकाई स्थापना के लिए और 75 प्रतिशत शेष राशि तीन वर्ष के अंतर्गत छमाही किस्तों में ब्याज सहित ली जाएगी। अति तीव्र एवं तीव्र औद्योगिक क्षेत्र में यह प्रक्रिया 10 प्रतिशत ईएमडी राशि प्राप्त करते हुए 40 प्रतिशत 60 दिन में

भूमि का आवंटन शासन के निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा

प्राप्त कर पूरी की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के संचालन मंडल की 48वीं बैठक में ये फैसला लिया गया।

बैठक में मुख्य सचिव ने लैंड बैंक बढ़ाने और प्राप्त भूमि के आवंटन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इकाई स्थापना के लिए नीति में बदलाव करते हुए सभी प्रकार के भूखंडों के आवंटन की तरह हस्तांतरण मामलों में भी समान रूप से समय दिया जाए। बैठक में यूपीसीडा के इस वित्तीय वर्ष के लिए 6190 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बैठक में शामिल अफसर। -यूपीसीडा

कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश

इसके अलावा शासन द्वारा प्राधिकरण को दी गईं छह कताई मिलों के आवंटन और दर निर्धारण के लिए अनुमोदन दिया। औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा जनपद अमेठी, एटीएल प्रतापगढ़, कताई मिल बांदा, कताई मिल मेजा, कताई मिल मलवा फतेहपुर आदि के तलपट मानचित्रों का अनुमोदन दिया गया। जल्द आवंटन की कार्यवाही शुरु करने के निर्देश भी दिए। इसी क्रम में नगर निगम से प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं एवं निकाय सेवा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर प्रयागराज की योजना का तलपट मानचित्र का अनुमोदन हुआ। बैठक में सीईओ यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।